न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2278–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–03–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगौन प्रकरण कमांक 2/अ–13/2012–13

....

शेरसिंह पिता श्री द्वारकासिंह राजपूत
निवासी गणेश धाम,बाणगंगा, जिला इंदौर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–दादुसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत,
निवासी कठोरा तहसील कसरावद
हाल मुकाम खरगोन जिला खरगोन
2–कोलु पिता अविदित कोली
निवासी घाटबड्या तहसील कसरावद,
जिला खरगोन म0प्र0

.... अनावेदकगण

– – –

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ५/१/१६ को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील कसरावद जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार कसरावद जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम

कठोरा भूमि सर्वे कमांक 71 रकबा 2.50 हेक्टेयर है । उसकी भूमि के उत्तर दिशा में आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 73 स्थित होकर दोनों की एक ही मेढ़ है। अनावेदक कमांक 1 आवेदक की भूमि के पूर्वी मेढ़ से होकर बेलगाडी ट्रेक्टर ट्रॉली से आना जाना करता था । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि को जोत देते हैं, और पानी भर देते हैं जिससे उसका मार्ग अवरूद्ध हो जाता है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । इसके साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2012–13 दर्ज कर दिनांक 11–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात् तहसीलदार के संज्ञान में यह बात आने पर कि सर्वे कमांक 71 ग्राम कठोरा में स्थित नहीं होकर ग्राम घाटबडया में स्थित है, तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–3–2014 को संशोधित अंतरिम आदेश पारित कर ग्राम कठोरा विलोपित कर ग्राम घाटबडया अंकित किया गया । तहसीलदार के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसे दिनांक 13–1–14 को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उक्त आदेश आवेदक को बिना सुने पारित किया गया था । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–1–14 को निरस्त कर प्रकरण में पेशी दिनांक 20–1–14 नियत की गई थी । दिनांक 20–1–14 को अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया है जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है। तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने संबंधी आदेश पारित करने के पूर्व स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है और केवल अपनी गलती छिपाने के लिये साईड में स्थल निरीक्षण किये जाने का उल्लेख किया गया है । यह भी कहा गया कि

तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता है और जिसे आवेदक द्वारा किस प्रकार रोका गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम कठोरा से ग्राम घाटबडया तक मार्ग शासन द्वारा अभी अभी बनाया गया है, तब उस रोड पर किसी का परम्परागत रास्ता कैसे हो सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 13–1–2014 को निरस्त कर दिया गया था, अतः उसे दिनांक 10–3–14 के आदेश से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कहा गया कि पूर्व में जिस आदेश को तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था, उसे स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है । तत्पश्चात् दिनांक 13–1–2014 को अपने पूर्व पारित आदेश दिनांक 10–1–2014 में त्रुटि पाते हुये उसे निरस्त किया जाकर प्रकरण अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने पर तर्क हेतु नियत किया गया, इसके पश्चात् दिनांक 10–3–2014 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 10–1–2014 में ग्राम कठोरा के स्थान पर ग्राम घाटबड्या अंकित किये जाने संबंधी संशोधन कर पूर्व में निरस्त किये गये। आदेश दिनांक 10–1–2014 की पुष्टि की गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है, क्योंकि पूर्व में निरस्त किये गये आदेश की पुष्टि करना वैधानिक दृष्टि से घोर अनियमितता है । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–3–2014 को देखने से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत

आपत्ति पर विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 10–03–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर